

बिहार सरकार,  
कृषि विभाग।

पत्र संख्या- पी०पी०एम०-42/2016

4097

/क०, पटना, दिनांक: 21/9/2016

कार्यालय आदेश

वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत जिला सिंचाई योजना की तैयारी हेतु शत-प्रतिशत केन्द्रांश मद से कुल 380.00 लाख रुपये (तीन करोड़ अस्सी लाख रुपये) की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति से संबंधित स्वीकृत्यादेश संख्या- 3076, 3077 एवं 3078 दिनांक: 14.07.2016 को निर्गत किया गया था। वित्त विभाग के पत्र संख्या- को०प्र०/विविध-13/2012-6190 वि० दिनांक: 04.08.2016 के आलोक में उक्त स्वीकृत्यादेश की कंडिका-7 में बी०टी०सी० फार्म-46 के बदले बी०टी०सी० फार्म-42 पढ़ा जाय। स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी०-42 पर की जायेगी तथा ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेति), पटना के पी०एल० खाता संख्या- 278 में जमा की जायेगी।

2. शेष कंडिकाएँ एवं शर्तें यथावत रहेंगी।
3. प्रस्ताव में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

(15/20/9/16)

(रामजी सिंह)

सरकार के विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक -पी०पी०एम०-42/2016

4097

/क०, पटना दिनांक 21/9/2016

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(15/20/9/16)

सरकार के विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक -पी०पी०एम०-42/2016

4097

/क०, पटना दिनांक 21/9/2016

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(15/20/9/16)

सरकार के विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक -पी०पी०एम०-42/2016

4097

/क०, पटना दिनांक 21/9/2016

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Private

(15/20/9/16)

सरकार के विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।